APP-A
crim - 1

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अति० जिला कलक्टर (प्र०) मुकाम श्रीगंगानगर

बहादर राम बनाम राज्य व कृष्णा वगैरा

किस्म मुकदमा अपील नं. ..... सन् 2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
2.8.13	वकील अपीलांट उप० अपीलवाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजि० किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेस्पोडेन्टस व रेकार्डस को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 5-9-13 को पेश हो।	
6/8/13	वकील अपीलांट के प्रा० पत्र पर पत्रावली पेशी में ली गई। कोर्ट संख्या के प्रस्तावानुसार अभिभाषकगण द्वारा न्यायालय कार्य स्थगित किया हुआ है। वकील अपीलांट के निवेदन पर स्थगन प्रा० पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दि० 22.10.[illegible]	

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Web Copy - Not Official

05.06.15 पीठासीन अधिकारी अस्थाई भ्रमण पर मुख्यालय से बाहर कार्य में व्यस्त है। पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 10.07.15 को पेश हो। 4

10.07.15 अभिभाषक उभयपक्ष उप० / रिकॉर्ड अप्राप्त - पुनः तलब करें। पत्रावली दिनांक 21.8.15 को पेश हो।

21.8.15 अभिभाषक उभयपक्ष उप० / अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड प्राप्त हो चुका है - शा० मिसल है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 9.10.15 को हो।

9.10.15 बार संघ के प्रस्तावानुसार Adv. द्वारा ½ day न्यायालय कार्य स्थगित किया हुआ है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29.10.15 को पेश हो।

5

29.10.15 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उप० / वकील अपीलांट ने अपील को No Instruction कह, पैरवी को हिदायत न होना जाहिर किया। अतः वकील अपीलांट द्वारा No Instruction जाहिर करने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति अधी० न्यायालय को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

No Instruction
29/10/15

29/10/15

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)